सत्यमेव जयते

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

हितधारकों को सेवाओं के बेहतर वितरण के लिए पहल

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-I, महाराष्ट्र का कार्यालय

विषय सूची

- प्रधान महालेखाकार के डेस्क से
- ऑनलाइन पेंशन और सामान्य भविष्य निधि संवाद
- पेंशन एवं सामान्य भविष्य निधि सेवा पत्र
- वॉइस मेल सेवा
- टोल फ्री नंबर
- ऑनलाइन हेल्प डेस्क
- ज्ञान विडियो
- ई-पीपीओ
- पेंशन कार्यशाला तथा अदालत

प्रधान महालेखाकार के डेस्क से

प्रिय पाठकों,

मुझे आपके साथ एक पुस्तिका साझा करने में प्रसन्नता हो रही है जिसमें पेंशनरों और सामान्य भविष्य निधि अंशदाताओं, जिनके लिए हम सेवारत है, के लिए लोक सेवा प्रदान करने के अनुभव को मजबूत करने हेतु मेरे कार्यालय द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहलों को रेखांकित किया गया है।

भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (डीपीसी) अधिनियम,1971 के प्रावधानों के तहत, मेरा कार्यालय,अर्थात प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.)-I, महाराष्ट्र का कार्यालय, राज्य के लेखाओं को संकलित करता है और वार्षिक विनियोग लेखा और वित्त लेखा तैयार करता है। हम राज्य सरकार के कर्मचारियों के पेंशन मामलों के प्राधिकरण और अपने क्षेत्राधिकार में एक लाख से अधिक राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों के रख-रखाव के लिए भी जिम्मेदार हैं।

सेवानिवृत्त महाराष्ट्र राज्य सरकार के कर्मचारी, जिनका पेंशन और सामान्य भविष्य निधि से सम्बंधित कार्य हमारे द्वारा निष्पादित किया जाता है, के सम्मान के प्रतीक में हमने कोविड-19 महामारी के कठिन समय के दौरान, नवीन सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया है और पेंशनरों तथा अंशदाताओं के लिए सेवाओं की उपलब्धता को आसान और अधिक सुव्यवस्थित बनाने के लिए कई सक्रिय उपाय शुरू किए हैं। हमारे लिए यह अतिरिक्त प्रयास की प्रेरणा मुख्यत: मानव एवं सेवा उन्मुख है और इसका लक्ष्य पेंशनरों द्वारा इस कार्यालय में भौतिक रूप से उपस्थिति के बिना आसानी से उन्हें सूचना प्रदान करना और उनके समस्याओं का समाधान करना है।

"पेंशन सेवा आपके द्वार" तक पहुँचाने के लिए एवं सूचना तथा सेवा उपलब्ध कराने के हमारे प्रयास के भाग के रूप में, विगत वर्ष में हमने पेंशन संवाद, पेंशन/ सामान्य भविष्य निधि सेवा पत्र, पेंशन कार्यशाला एवं अदालत, ज्ञान चैनल विडियो, वॉयस मेल सेवा, टोल फ्री दूरभाष संख्या एवं समर्पित मदद डेस्क ईमेल की शुरुआत की है, जिसका विवरण आप इस पुस्तिका में उल्लिखित पाएंगे। यह पुस्तिका अँग्रेजी, मराठी तथा हिन्दी भाषा में उपलब्ध है जिसे हमारे कार्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

हमारे कार्यालय की वेबसाईट **https@//cag.gov.in/ae/mumbai/en** का निरंतर अद्यतन किया जा रहा है ताकि हमारी आगे आने वाली पहलों एवं सुधारों की सूचना यथा समय दी जा सके। चूंकि हमारे प्रयास की सूचना का व्यापक प्रसार हो रहा है, इसलिए इस पहल की प्रशंसा हमारे राज्य सरकार के सहयोगियों एवं पेंशनरों, दोनों के द्वारा हो रही है।

मैं, विशेषकर आपका ध्यान पेंशन संवाद की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ जिसमें पेंशनरों को अपने घर से ही विडियो कॉल के जरिए हमारे कार्यालय के पदाधिकारियों से एक के बाद एक करके सहायता देने की सुविधा है। हमने पेंशनरों को सहायता प्रदान करने हेतु एक समर्पित टोल फ्री लाइन एवं एक वॉइस मेल सेवा की शुरूआत की है।

हमने पेंशन अदालत के साथ-साथ पेंशन कार्यशाला को पुन: प्रारंभ कर दिया है जिसे कोविड-19 महामारी के दौरान लोक स्वास्थ्य प्रतिबंधों के कारण अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। वैयक्तिक रूप से आयोजित की जाने वाली इन कार्यशालाओं का आयोजन अनेक कोषागारों एवं राज्य सरकार के अनेक विभागों में किया गया ताकि आहरण एवं वितरण अधिकारियों को सूचना एवं सहायता दी जा सके एवं पेंशनरों के साथ बातचीत करके उनके समस्याओं का समाधान किया जा सके।

मैं, राज्य सरकार के पदाधिकारियों, लेखा एवं कोषागार के निदेशालय एवं कोषागार अधिकारियों की आभारी हूँ, जिन्होंने निरंतर हमारे प्रयासों का समर्थन किया और इसके प्रति जागरूकता का सृजन किया और हमारे पहल को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक समन्वय करके सहायता प्रदान की।

मैं, पेंशन एवं सामान्य भविष्य निधि के मामलों में हमारे द्वारा दी जाने वाली सेवा को आने वाले समय में और भी सशक्त बनाने हेतु आपके प्रतिक्रिया एवं सुझावों का स्वागत करती हूँ।

हार्दिक शुभकामनाओं के साथ

(जया भगत)
प्रधान महालेखाकार

ऑनलाइन पेंशन और सामान्य भविष्य निधि संवाद

मार्च 2022 से हमारे कार्यालय ने पेंशन संवाद नामक ऑनलाइन चर्चा मंच प्रारंभ किया है। यह "पेंशन सेवा आपके द्वार", एक ऑनलाइन संवाद की पहल है- जिसमें पेंशनरों एवं सामान्य भविष्य निधि अंशदाताओं को घर बैठे ही पेंशन व सामान्य भविष्य निधि से संबन्धित समस्याओं एवं शिकायतों का समाधान प्राप्त हो जाता है।

पेंशनरों एवं सामान्य भविष्य निधि अंशदाताओं के साथ संवाद का आयोजन व्हाट्सअप/ ज़ूम विडियो कॉल के जरिये ऑनलाइन माध्यम पर उनके द्वारा दिये गए मोबाइल नंबर से किया जाता है। पेंशनरों के शिकायतों एवं समस्याओं का समाधान हेतु, अगर आवश्यक हो तो, आहरण एवं संवितरण अधिकारी एवं कोषागार अधिकारी कॉल के जरिये जुड़े रहते है।

पेंशनरों एवं सामान्य भविष्य निधि अंशदाताओं के विचाराधीन मामलों पर चर्चा की जाती है, समाधान ढूंढ कर, अगले कुछ दिनों में कार्रवाई की जाती है। निर्बाध एवं सुव्यवस्थित संपर्क के जरिये हमारा कार्यालय द्वार पर पेंशन एवं सामान्य भविष्य निधि सेवाएं उपलब्ध करती है, जिसकी प्रशंसा हो रही है साथ ही समस्याओं का भी त्वरित समाधान हो जाता है। यह पाया गया है कि यह पहल, विशेषकर, उन वृद्ध एवं रुग्ण पेंशनरों के लिए सहायक विकल्प है, जिन्हें कोषागार या महालेखाकार के कार्यालय में उपस्थित होने में कठिनाई होती है। ये पेंशनर अपने चयनित समय पर घर बैठकर हमारे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

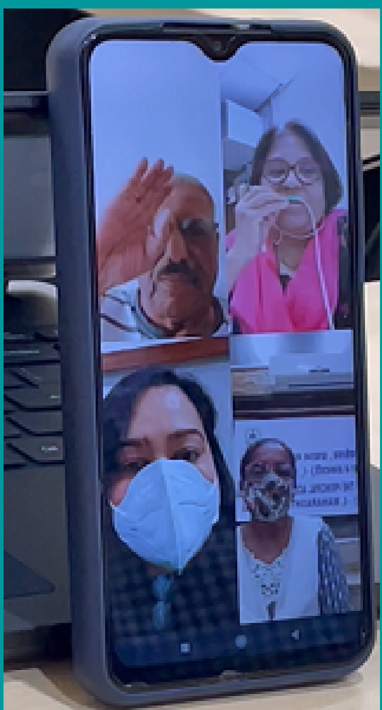

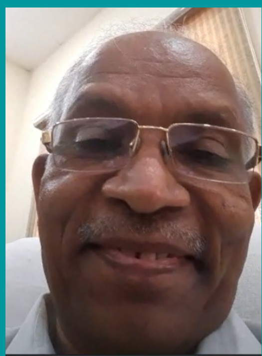

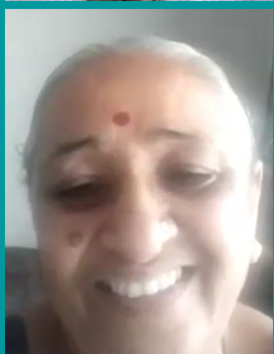
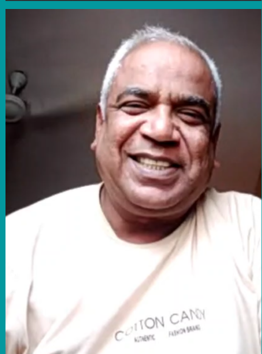
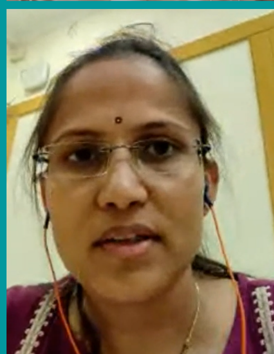

पेंशन और सामान्य भविष्य निधि सेवा पत्र

पेंशनरों की शिकायतों/समस्याओं के निवारण हेतु, हमारे कार्यालय ने पेंशन सेवा पत्र एवं सामान्य भविष्य निधि सेवा पत्र के माध्यम से ड्रॉपबॉक्स सुविधा प्रक्रिया प्रारंभ की है, जिसमें पेंशनर/अंशदाता ऑनलाइन ड्रॉपबॉक्स या कार्यालय परिसर के प्रवेश द्वार पर रखे हुए भौतिक ड्रॉपबॉक्स के माध्यम से शंकाओं को जमा कर सकते हैं। यह महामारी के दौरान पेंशनरों की सुरक्षा एवं कल्याण को संभव बनाता है और उनकी सुविधा को भी सुनिश्चित करती है।

पेंशन/सामान्य भविष्य निधि सेवा पत्र फॉर्म पर कार्य किया जाता है और सभी याचिका, प्रश्नों एवं शिकायतों पर दूरभाष से या ईमेल के जरिये समय पर प्रतिक्रिया दी जाती है। सेवा पत्र, समस्याओं के समाधान के लिए सफल माध्यम रहा है जिसने लोक सेवा कक्ष की विद्यमान ऑफलाइन प्रणाली की मौजूदा सेवा अदायगी में एक और कड़ी जोड़ दी है।

पेंशन सेवा पत्र तथा सामान्य भविष्य निधि सेवा पत्र को पेंशनरों व सामान्य भविष्य निधि के अंशदाताओं द्वारा काफी सराहा गया है।

वॉइस मेल सेवा

हमारे कार्यालय ने वॉइस मेल सेवा प्रारंभ की है, जिसके माध्यम से पेंशनर/ सामान्य भविष्य निधि अंशदाता पेंशन संवाद के लिए **24/7** वॉइस मेल नंबर **020-71177775** में कॉल करके अपनी याचिका रिकॉर्ड कर सकते हैं। यदि आवश्यकता हुई तो हमारे कार्यालय के अधिकारी रिकॉर्ड की गयी याचिका पर आगे स्पष्टीकरण करते हुए पेंशनर को हमेशा वापस कॉल करते है।

टोल फ्री नंबर

हमारे कार्यालय ने टोल फ्री नंबर सेवा प्रारंभ की है जिसके माध्यम से पेंशनर/ सामान्य भविष्य निधि अंशदाता टोल फ्री नंबर **1800-22-0014** पर पेंशन संवाद के लिए रजिस्टर कर सकते है एवं किसी प्रकार की सहायता/सेवा के लिए अनुरोध कर सकते है। पेंशनर सीधे हमारे अधिकारियों से बात कर सकते हैं और उनके द्वारा पेंशन से संबधित किसी भी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं।

ऑनलाइन हेल्पडेस्क

ईमेल आईडी- **helpdesk.mh1.ae@cag.gov.in** पर ऑनलाइन हेल्पडेस्क प्रणाली का प्रारंभ किया गया है।

कोषागार अधिकारियों और आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा प्रधान महालेखाकार के कार्यालय के साथ किए गए संवाद अथवा इस कार्यालय को भेजे गए दस्तावेज़ो से संबन्धित मुद्दों पर की गयी कार्रवाई के संबंध में हेल्पडेस्क का उपयोग किया जाता है।

हमारे कार्यालय से संबन्धित मुद्दों पर अपने शंकाओं के तत्काल निवारण हेतु आहरण एवं संवितरण अधिकारी तथा कोषागार अधिकारी इस ईमेल का उपयोग कर सकते हैं।

ONLINE HELPDESK

Online Helpdesk mechanism has been initiated by this office whereby Treasury Officers (TOs) and Drawing & Disbursing Officers (DDOs) can refer their queries, on process related matters, by writing to the following dedicated email id :

helpdesk.mh1.ae@cag.gov.in

Queries received on this email shall be responded to in a timely manner.

ज्ञान विडियो

आहरण व संवितरण अधिकारियों और पेंशनभोगी को लेखाओं, पेंशन और सामान्य भविष्य निधि से संबन्धित मुद्दों पर शिक्षित करने के प्रभावी प्रयास में हमारे कार्यालय की वेबसाइट पर इनसे संबंधित ज्ञान चैनल को जोड़ा गया है। ज्ञान चैनल में, हमारे कार्यालय के द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्यों के लघु विडियो मोड्यूल्स/कैप्सूल्स मौजूद है।

हमारे द्वारा की गयी महत्वपूर्ण क्षेत्रों की प्रारंभिक समीक्षा के आधार पर, निम्नलिखित विषयों पर कुछ वीडियो मॉड्यूल/तकनीकी कैप्सूल मराठी और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध हैं :-

(i) उपयोगिता प्रमाणपत्र का प्रस्तुतीकरण (मराठी और अंग्रेजी भाषा)
(ii) पेंशन के प्रस्ताव का अग्रेषण
(iii) पेंशन संवाद
(iv) पेंशन और लेखाओं में सुधार एवं नवीनीकरण की पहल पर विडियो

हमारे कार्यालय की वेबसाईट पर समय-समय पर नए ज्ञान विडियो को अपलोड और उपलब्ध कराया जाता है।

पेंशनर द्वारा ज्ञान विडियो देखते हुए जिसमें यह समझाया जा रहा है कि पेंशन संवाद पहल क्या है और इसके लिए रजिस्टर कैसे करना है।

प्रधान महालेखाकार *(*ले. व ह.*)-I*, महाराष्ट्र के कार्यालय में पूर्ण और सही तरीके से पेंशन प्रस्ताव को अग्रेषित करने हेतु जिन कार्यों का अनुसरण किया जाना है उस पर मराठी भाषा में ज्ञान विडियो।

ई-पीपीओ

हमारे कार्यालय द्वारा प्रदान दिए गए पेंशन लाभों के भौतिक पेंशन प्राधिकार पत्र (पेंशन पेमेंट ऑर्डर-पीपीओ) को कोषागार कार्यालय और पेंशनर को डाक के माध्यम से भेजा जाता है। पीपीओ का प्राप्त न होना, डाक द्वारा प्राप्त पत्र में विलंब होना आदि कारणों से पेंशनरों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

इन मुद्दों का समाधान करने तथा सेवाओं की गति को बढ़ाने के लिए, हमारे कार्यालय ने अभिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई के क्षेत्राधिकार में आने वाले शिक्षा विभाग के पेंशनरों के लिए 12 नवंबर 2021 से डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किए गए ई-पीपीओ (इलेक्ट्रोनिक पेंशन भुगतान आदेश) जारी करना शुरु किया है।

पेंशन प्राधिकरणों को संबंधित कोषागार कार्यालयों को ऑनलाइन भेजा जाता है और वेब लिंक पेंशनरों को भेजे जाते हैं जिसके माध्यम से वे अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे मोबाइल और लैपटॉप पर पीपीओ को डाउनलोड करके सुरक्षित रख सकते हैं। पेंशनरों को अब अपनी पेंशन प्राप्ति की शुरुआत करने के लिए पीपीओ पुस्तिका की भौतिक प्रति प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

17 जनवरी, 2022 से अभिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई के क्षेत्राधिकार के अधीन महाराष्ट्र सरकार के सभी विभागों का समावेश करने के लिए ई-पीपीओ पहल का विस्तार किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में हमारे द्वारा, महाराष्ट्र राज्य में अपने कार्यालय के क्षेत्राधिकार के अधीन सभी जिलों के पेंशनरों के लिए ई-पीपीओ को क्रमशः प्रारंभ करने पर विचार किया जा रहा है।

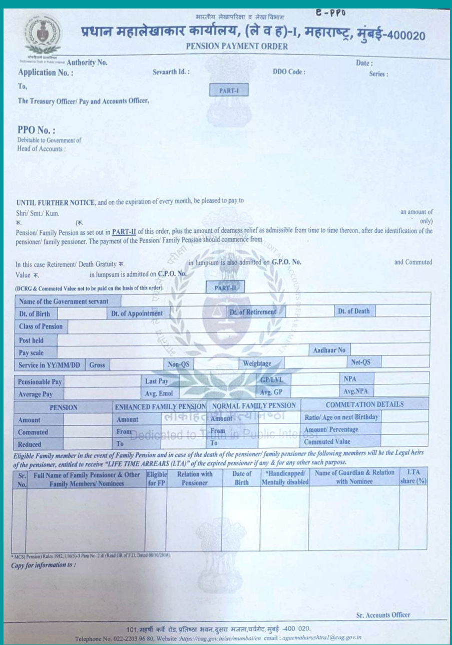

e-PPO

भारतीय लेखापरिक्षा व लेखा विभाग

प्रधान महालेखाकार कार्यालय, (ले व ह)-I, महाराष्ट्र, मुंबई-400020

PENSION PAYMENT ORDER

Authority No. Date :

Application No. : Sevaarth Id. : DDO Code : Series :

To,

The Treasury Officer/ Pay and Accounts Officer,

PART-I

PPO No. :

Debitable to Government of

Head of Accounts :

UNTIL FURTHER NOTICE, and on the expiration of every month, be pleased to pay to Shri/ Smt./ Kum. an amount of रु. (रु. only) Pension/ Family Pension as set out in PART-II of this order, plus the amount of dearness relief as admissible from time to time thereon, after due identification of the pensioner/ family pensioner. The payment of the Pension/ Family Pension should commence from .

In this case Retirement/ Death Gratuity रु. in lumpsum is also admitted on G.P.O. No. and Commuted Value रु. in lumpsum is admitted on C.P.O. No.

(DCRG & Commuted Value not to be paid on the basis of this order).

PART-II

Name of the Government servant							
Dt. of Birth		Dt. of Appointment		Dt. of Retirement		Dt. of Death	
Class of Pension							
Post held							
Pay scale						Aadhaar No	
Service in YY/MM/DD	Gross	Non-QS		Weightage		Net-QS	
Pensionable Pay		Last Pay		GP/LVL		NPA	
Average Pay		Avg. Emol		Avg. GP		Avg.NPA	

PENSION		ENHANCED FAMILY PENSION		NORMAL FAMILY PENSION		COMMUTATION DETAILS	
Amount		Amount		Amount		Ratio/ Age on next Birthday	
Commuted		From		From		Amount/ Percentage	
Reduced		To		To		Commuted Value	

Eligible Family member in the event of Family Pension and in case of the death of the pensioner/ family pensioner the following members will be the Legal heirs of the pensioner, entitled to receive "LIFE TIME ARREARS (LTA)" of the expired pensioner if any & for any other such purpose.

Sr. No.	Full Name of Family Pensioner & Other Family Members/ Nominees	Eligible for FP	Relation with Pensioner	Date of Birth	*Handicapped/ Mentally disabled	Name of Guardian & Relation with Nominee	LTA share (%)

* MCS(Pension) Rules 1982, 116(5)-3 Para No. 2 & (Read GR of F.D. Dated 08/10/2018).

Copy for information to :

Sr. Accounts Officer

101, महर्षी कर्वे रोड, प्रतिष्ठा भवन, दुसरा मजला, चर्चगेट, मुंबई -400 020.

Telephone No. 022-2203 96 80, Website :*https://cag.gov.in/ae/mumbai/en* email : *agaemaharashtra1@cag.gov.in*

ई-पीपीओ का प्रारूप

प्रधान महालेखाकार द्वारा पेंशनर को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित ई-पीपीओ प्राधिकरण के पहले सेट को सौंपते हुए

पेंशन कार्यशाला तथा अदालत

पेंशन और जीपीएफ के मामलों से संबंधित कार्रवाई को सटीक और यथासमय सुनिश्चित करने और पेंशनरों को बेहतर सेवा देने के हमारे कार्यालय के निरंतर प्रयासों के क्रम में, हमारे कार्यालय द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न कोषागार और विभाग में, आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ) के लिए पेंशन और सामान्य भविष्य निधि कार्यशालाओं का आयोजन और पेंशनरों के लिए पेंशन अदालतों का आयोजन किया जाता है।

हमारे कार्यालय द्वारा आयोजित कार्यशाला में, पेंशन और भविष्य निधि मामलों का समय पर प्रसंस्करण सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तुत की जाने वाली प्रक्रियाओं और दस्तावेजों पर एक प्रस्तुति की जाती है। हमारे कार्यालय द्वारा पेंशनरों तक पहुँचने और उनको अच्छी सेवा देने के उद्देश से शुरू किए गए विभिन्न पहलों जैसे कि ई-पीपीओ, ऑनलाईन पेंशन संवाद, ऑनलाईन पेंशन और जीपीएफ सेवा पत्र, वॉइस मेल सेवा, टोल फ्री नंबर सेवा, ऑनलाईन हेल्पडेस्क, ज्ञान चैनल विडियो और हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध सूचनाओं की प्रस्तुति दी जाती है।

पुलिस महानिदेशक कार्यालय, महाराष्ट्र के राज्य क्षेत्राधिकार में डीडीओ के लिए एक पेंशन कार्यशाला *26* अप्रैल, *2022* को पुलिस महानिदेशक, महाराष्ट्र, मुंबई के कार्यालय में आयोजित की गई थी। कार्यशाला का उद्घाटन सुश्री जया भगत, प्रधान महालेखाकार (ले व ह)-*I*, महाराष्ट्र और श्री. अनूप कुमार सिंह, अपर. पुलिस महानिदेशक (प्रशासन), महाराष्ट्र द्वारा किया गया था। कार्यशाला में *125* डीडीओ और पदधारियों ने भाग लिया।

पेंशन अदालत के दौरान, पेंशनरों के मुद्दों को धैर्यपूर्वक सुना जाता है और हमारी कार्यालय टीम द्वारा यथासंभव वहीं पर उनका समाधान किया जाता है। पेंशनरों ने यह प्रसन्नता व्यक्त की है कि प्रधान महालेखाकार का कार्यालय उन तक पहुँच रहा है और साथ ही उन्होंने हमारे कार्यालय द्वारा पेंशन संवाद, पेंशन और जीपीएफ सेवा पत्र, वॉयस मेल सेवा, टोल फ्री नंबर सेवा, ऑनलाइन हेल्पडेस्क मेल आदि पेंशन संबंधी सेवाओं को उनके घरों में उपलब्ध कराने संबंधी नए पहल के लिए आभार व्यक्त किया है।

पुलिस आयुक्त, मुंबई के कार्यालय में *28* अप्रैल,*2022* को डीडीओ और पेंशन अदालत के लिए एक पेंशन कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला का उद्घाटन सुश्री जया भगत, प्रधान महालेखाकार (ले.व ह.)-*I*, महाराष्ट्र और श्री राज कुमार व्हाटकर, संयुक्त पुलिस आयुक्त (प्रशासन), मुंबई द्वारा किया गया था। कार्यशाला में *20* आहरण एवं संवितरण कार्यालय से *80* पदाधिकारियों एवं लगभग *500* पेंशनरों ने पेंशन अदालत में भाग लिया।

प्रधान महालेखापाल ले.व.अ.- १ कार्यालय महाराष्ट्र, मुंबई - ४००० २०

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

निवृत्तिवेतनधारकांच्या समस्यांचे निवारण करण्यासाठी सुरु करण्यात आलेले विविध उपक्रम

१ . पेन्शन संवाद

पेन्शन संबंधित सर्व समस्यांबाबत आता घरबसल्या करा आमच्या अधिकाऱ्यांशी व्हिडिओ कॉलवर संवाद. **Whatsapp** आणि **Zoom** कॉल साठी या लिंकवर नोंदणी करा https://cag.gov.in/ae/mumbai/en

२. व्हॉइस मेल/टोल फ्री सेवा- २४ तास

आता आम्हाला तुमच्या समस्या कळवण्यासाठी वेळेचे कोणतेही बंधन नाही. २४ तास सेवेत असणाऱ्या ०२०-७११७ ७७७५ या क्रमांकावर संपर्क करून पेन्शनधारकांच्या माहितीसोबत त्यांच्या समस्या रेकॉर्ड करा. आमचे अधिकारी दोन दिवसातच समस्यांचे समाधान करण्यासाठी आपल्याशी संपर्क साधतील.

कार्यालयीन वेळेत या क्रमांकावर कॉल करून पेन्शन संवाद साठी नोंदणी करा अथवा आपल्या पेन्शन संबंधित समस्यांसांबद्दल थेट आमच्या प्रतिनिधींशी बोला.
संपर्क करा - १८०० २२ ००१४

3. पेन्शन / जीपीएफ सेवा पत्र

आमच्या कार्यालयाच्या संकेतस्थळावरील ऑनलाईन ड्रॉप बॉक्स (**https://cag.gov.in/ae/mumbai/en/ae-complaint-suggestion**) वर जाऊन पेन्शनधारकांना आमच्या कार्यालयास प्रत्यक्ष भेट न देता त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे प्राप्त करण्यास आणि त्यांच्या समस्या मांडण्यास सक्षम करते.

४.नॉलेज चॅनेल

पेन्शन प्रक्रियेबाबत सुस्पष्टता आणण्यासाठी आणि उद्भवणाऱ्या संभाव्य समस्यांबद्दल मार्गदर्शन करण्यासाठी आम्ही घेऊन येत आहोत **Knowledge Channel** जिथे तुम्ही आमच्या अधिकाऱ्यांनी बनवलेले विविध मार्गदर्शनपर व्हिडिओज पाहू शकता.
लिंक: https://cag.gov.in/ae/mumbai/en/video-gallery

आता पेन्शनचे नको टेन्शन

पेन्शन प्रक्रिये संबंधित कोणतीही शंका असल्यास कृपया इमेल- द्वारे कळवा
helpdesk.mh1.ae@cag.gov.in

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग

प्रधान महालेखाकार (ले.व ह.)-I, महाराष्ट्र का कार्यालय

दूसरा तल, प्रतिष्ठा भवन, 101, एम. के. रोड, न्यू मरीन लाईन, मुंबई- 400 020

संपर्क नं.- 022- 22039680

ई-मेल- agaemaharashtra1@cag.gov.in

वेबसाइट- https://cag.gov.in/ae/mumbai/en

डाउनलोड के लिए लिंक : https://cag.gov.in/ae/mumbai/hi/page-ae-mumbai-informative-booklet